

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री बी.एल.कोठारी

आई.ए.एस.

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट

सुजानसिंह पुत्र भूरसिंह जाति
राजपूत निवासी राउता तहसील
बागोडा जिला जालोर

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार
बागोडा

प्रकरण संख्या अपील

08/2018

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री साबिर खां, अभिभाषक अपीलान्ट

2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-09.05.2018


1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील तहसीलदार बागोडा द्वारा प्रकरण संख्या 99/2017 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम सुजानसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी राउता में पारित आदेश दिनांक 12.01.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट मजदूर वर्ग का काश्तकार व्यक्ति है सरहद मौजा राउता में खसरा नंबर 257 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन लाटा की आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजों का करीबन 50 वर्षों से अधिक समय से मौके पर कब्जा है तथा अपीलान्ट उक्त भूमि को अपनी फसलो को रखने एवं पशुओं का चारा रखने हेतु उपयोग में ले रहा है। खसरा नंबर 257 प्रारम्भ से ही लाटे की भूमि है। खसरा नंबर 257 की भूमि किसी प्रकार से पूर्व में गोचर डोली अथवा रास्ते की भूमि नहीं है। उक्त खसरा नंबर 257 गैर मुमकिन लाटे की भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा है तथा अपीलान्ट के पूर्वजों का उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षों से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये ग्राम राउता के भूमि तस्करों से मिलावट कर उनके कथनानुसार अपीलान्ट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर भूमि तस्करों की भूमि की अधिक कीमत प्राप्त करवाने के आशय से अपीलान्ट के विरुद्ध बिल्कुल गलत प्रकरण दर्ज कर धारा 91 राजस्थान लैंड रैवेन्यू एक्ट के तहत अपीलान्ट को नोटिस जारी कर आगामी पेशी 22.12.2017 नियत की गई। उक्त नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त होने पर अपीलान्ट न्यायालय होकर जवाब व साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर चाहा। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये साक्ष्य व सबूत जवाब व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं करते हुये अपीलान्ट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि के पास ही आबादी भूमि में अन्य लोगों का रहवास है। उक्त भूमि मौके पर किसी प्रकार से रास्ते डोली अथवा गोचर की भूमि न होकर अपीलान्ट के कब्जे की भूमि तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट व उसके परिवार का पुराना कब्जा होने के कारण राजस्थान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार काबिल नियमन होते हुए उक्त भूमि को नियमन न कर बेदखली का आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय व आदेश पारित किया तथा अन्तिम रूप से जानकारी तब हुई जब अपीलान्ट को दिनांक

05.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय से उक्त निर्णय दिनांक 12.01.2018 के आदेश की नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार ज्ञान की तारीख एवं नकल प्राप्ति की तारीख से अपीलांत की अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपीलांत की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांत की अपील स्वीकार की जावे।


4. सरकारी अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को मौजा राउता के गैर मुमकिन लाटा की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 50/-रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया व बेदखली के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिवत है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जावे।

5. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांत की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। हम राजकीय अधिवक्ता की राय से सहमत हैं। अपीलांत को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। परंतु अपीलांत द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया, जिससे साबित होता हो कि अपीलांत का पुराना कब्जा है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को मौजा राउता के खसरा नंबर 257 रकबा 0.07 किस्म गैर मुमकिन लाटा की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 50/-रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया तथा बेदखल करने का आदेश पारित किया है। जो विधीवत है।

6. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप अपीलांत की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।


(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 09.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर